कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध जुआ–सट्टा में लिप्त 12 जुआरी/सटोरिये गिरफ्तार

जयपुर 7 सितम्बर। झालावाड के पुलिस थाना झालरापाटन द्वारा अलग–अलग टीमें गठित कर झालरापाटन कस्बे में कई जगह दबिश देकर जुआं सट्टा करते 12 जुआंरियों व सटोरियों को अलग–अलग स्थानों से गिरफ्तार कर 20370/–रू0 नगद राशि मय ताश के पत्तों व सट्टा उपकरण बरामद किये गये।

पुलिस अधीक्षक झालावाड श्री आनन्द शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि कस्बा झालरापाटन में अवैध जुंआ सट्टा की रोकथाम एवं कार्यवाही के लिए पुलिस थाना झालरापाटन की गठित टीम द्वारा जगह ब जगह कार्यवाही कर अवैध रूप से जुआं सट्टा में लिप्त 12 जुआंरियों/सटोरियों अनार सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति तंवर उम्र 32 साल निवासी पिण्डोला थाना दांगीपुरा, पवन कुमार पुत्र श्री घनश्याम जाति बैरागी उम्र 26 साल निवासी रलायती थाना सदर, तुफान सिंह पुत्र कंवर लाल जाति भील उम्र 38 साल निवासी उदयपुरिया थाना सुकेत, श्यामलाल पुत्र देवबक्श जाति रावल उम्र 58 निवासी गिन्दौर थाना झालरापाटन, रामचन्द्र पुत्र आत्माराम जाति बैरागी उम्र 65 साल निवासी रामपुरिया थाना रायपुर, जगदीश पुत्र मांगीलाल शर्मा उम्र 65 साल निवासी ठण्डी झिरी झालरापाटन, महावीर पुत्र देवीप्रसाद जाति जोशी उम्र 25 साल निवासी रटलाई थाना रटलाई, भारत सिंह पुत्र गोवर्धन उम्र 52 साल निवासी पुराना पावर हाउस की गली झालरापाटन, चांद खां पुत्र मुरेखा जाति मुसलमान उम्र 49 साल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर झालरापाटन, सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुशवाह उम्र 42 साल निवासी कुम्हार मोहल्ला झालरापाटन, घनश्याम पुत्र दानमल जाति खत्री उम्र 45 साल निवासी बड़ा बाजार झालरापाटन तथा अमित कुमार पुत्र सीताराम जाति मेहरा उम्र 32 साल निवासी वसुन्धरा कॉलोनी झालरापाटन को गिरफ्तार कर आरपीजीओं के तहत कार्यवाही की गई।

राही/सन्तरा/646/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

ए.टी.एम. कार्ड का नम्बर व पिन नम्बर देख कर ऑनलाईन खरीददारी करने का मास्टर माईन्ड आरोपी गिरफ्तार–

जयपुर 7 सितम्बर। करौली के थाना कोतवाली ने एटीएम बूथ में व्यक्तियों के पीछे खडा रह कर उसके एटीएम कार्ड के लास्ट के 4 अंक तथा उसके पिन को नोट कर ऑनलाईन खरीददारी करने वाले मास्टर माईन्ड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक करौली श्री अनिलकयाल ने बताया कि 3 अगस्त,2017 को श्यामसुन्दर शर्मा निवासी तांवेकी टोरी थाना कोतवाली करौली द्वारा स्वंय के एसबीबेजे बैंक के खाते से दिनांक 09.07.2017 से 27.07.2017 तक ऑनलाईन खरीद्दारी कर 60,000/– की ठगी करने का अभियोग थाना कोतवाली करौली पर दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण में हुए मुस्तगीस के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट प्राप्त किया गया तो शोप कूल, एयरटेलमनी, फिलिप कार्ट कम्पनी से मुस्तगीस के खाते से 60,000/– रूपये की ऑनलाईन खरीददारी किया जाना पाया गया।

श्री अनिलकयाल ने बताया कि प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सम्बधित कम्पनीयों को उक्त ट्रांजेक्शन रूकवाने के लिए मेल कर फोन किया गया जिसमें उक्त ट्रांजेक्शन के ऑर्डर फर्जी पते पर उदयपुर जिला में होना कम्पनियों ने बताया। जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी **शैतान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति मीणा निवासी चैनापुरा थाना भुसावर जिला भरतपुर** को 6 जून,2017 को देवेन्द्र सिंह जाखड पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी करौली द्वारा गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है।

कयाल ने बताया कि उक्त आरोपी को पूर्व में थाना कोतवाली करौली के मु0न0 35/16 धारा 420, 379 आईपीसी व 66 सी,डीआईटी एक्ट में इसी तरह एटीएम कार्ड के नम्बर तथा पिन नम्बर देखकर ऑन लाईन खरीददारी करने के प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका था। उक्त आरोपी एटीएम बूथ में व्यक्तियों के पीछे खडा रह कर उसके एटीएम कार्ड के लास्ट के 4 अंक तथा उसके पिन को नोट कर लेता है तथा ऑनलाईन खरीददारी कर ऐसी घटनाओं को कई जिलों में

अंजाम देता रहता है। प्रकरण का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों व साईबर सैल के जवानों को नकद इनाम मय प्रशंसा पत्र प्रदान किया जावेगा।

राही/सन्तरा/647/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

12 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण का खुलासा कर 5 मुल्जिमों को राऊण्ड–अप

जयपुर 7 सितम्बर। बीकानेर के पुलिस थाना खाजूवाला ने मुखबिर की सूचना पर आज 12 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण का खुलासा कर 5 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर श्री सवाई सिंह गोदारा ने बताया कि 5 नवम्बर,2005 को खाजूवाला थाना क्षेत्र में रावला रोड़ पर चक 7 च्ग्ड बस स्टेण्ड के पास मिली लाश मृतक जगतार सिंह उर्फ देशराज पुत्र करतारा राम जाति रामदासिया उम्र 40 साल निवासी वार्ड नं. 16 पदमपुर थाना पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का पोस्टमार्टम करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा इस पर अभियोग संख्या 145 दिनांक 05–11–2005 अन्तर्गत धारा 302,201 आई.पी.सी. दर्ज कर अनुसंधान किया गया तथा वर्ष 2009 में प्रकरण में एफ.आर अदमपता (मुल्जिम) में पेश की गई, जिस दौरान कई अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किये जाने के बावजूद मुल्जिमों का कोई पता नहीं चल सका।

श्री सवाई सिंह गोदारा ने बताया कि उक्त अनसुलझे हत्या जैसे गम्भीर प्रवृति का प्रकरण होने व पुराना अनट्रेस प्रकरण होने पर थानाधिकारी खाजूवाला श्री विक्रम सिंह को प्रकरण का खुलासा करने के निर्देश दिए। थानाधिकारी खाजूवाला ने मुखबिर मामूर कर प्रकरण के सम्बन्ध में साक्ष्य जुटाने प्रारम्भ कर मुखबिर की सूचना पर चश्मदीद गवाहान हसन खां उर्फ हसनु से पूछताछ की गई। पूछताछ से मुल्जिमों जय नारायण पुत्र दिलीप राम जाट निवासी खानुवाली थाना रावला श्रीगंगानगर, अनिल कुमार पुत्र सज्जन राम जाट निवासी 6 DKD थाना छत्तरगढ़, बीकानेर, इशान खा पुत्र फत्तु खां निवासी चक 2 L.M (A) थाना खाजूवाला, बीकानेर, रसीद खा पुत्र पीरू खां निवासी चक 2 L.M (A) थाना रावला, जिला श्रीगंगानगर तथा सुभाष चन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जाट (काजला) निवासी चक 13 KND थाना रावला, जिला श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रकरण प्रथम दृष्टया डोडा पोस्त की दुकान पर सैल्समेन की नौकरी करना तथा मुल्जिमों द्वारा अवैध डोडा पोस्त का काम करने से व्यावसायिक रंजिश के कारण घटना घटित करना पाया गया है, फिर भी मुल्जिमों को माननीय न्यायालय में पेश का रिमाण्ड प्राप्त कर गहनता से अनुसंधान किया जावेगा तथा हत्या के विस्तृत कारणों का पता लगाया जावेगा तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामदगी की कार्यवाही की जावेगा। मुल्जिम सुभाष चन्द्र काजला बदमाश प्रवृति का हार्डकोर अपराधी है, जिस पर हत्या जैसे कई गम्भीर प्रकरण पुलिस थाना रावला जिला श्रीगंगानगर में दर्जनों मुकदमें दर्ज है।

राही/सन्तरा/648/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

भारत फाईनेंस कंपनी के कैशियर से लूट का पर्दाफाश
2 आरोपी गिरफतार

जयपुर 7 सितम्बर। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि जिले में लगातार हो रही चोरी व लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने जाने के जिले के समस्त थानाधिकारियों को निर्देश देकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। जिस पर 6 सितम्बर,2017 को थाना एनईबी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन अलवर से भारत फाईनेंस कंपनी के कैशियर से लूट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी वसीम पुत्र जफरूदीन तथा अंकित गुप्ता उर्फ डिम्पल खण्डेलवाल पुत्र अशोक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि वसीम ने बताया कि मैं आर्थिक रूप से तंग था। इसीलिये मैंने योजना बनाई थी कि टिंकू शर्मा हमारे गांव में कैस कलेक्शन का काम करता है जिसके पास लाखों रूपये कैस रहता है। क्यों ना इसे लूटा जाये । क्योकि टिंकू शर्मा मुझे जानता था इसलिये मैं खुद उसे नहीं लूट सकता था। जिस पर मेरे द्वारा मेरे दोस्त अनीश पुत्र इशाक, तथा सलमान उर्फ सल्लू पुत्र इकबाल जाति मेव निवायी जैरोली तिजारा को तथा अपने दोस्त अंकित उर्फ डिम्पल पुत्र अशोक गुप्ता निवासी दाउदपुर को बुलाया। और उन्हें मैंनें बताया कि जैसे ही कैशियर टिंकू शर्मा गांव से कैश लेकर दिनांक 30.08.17 को निकलेगा तुम तीनों मोटर साईकिल से उसका पीछा करना और उसे लूट लेना तथा गांव के कच्चे रास्ते से एम आई ए एरिये में मिलना जहॉ मै तुमसे आकर मिलूंगा तथा वहॉ पर लूटे हुए पेसों का बटवारा करेंगे। जिस पर योजनानुसार जैसे ही दिनांक 30.08.17 को टिंकू शर्मा हमारे गांव से कैस कलेक्शन लेकर निकला मैंने तुरंत अनीश को कॉल कर दिया जो अनीश मोटर साईकिल में अंकित और सलमान उर्फ सल्लू को बैठाकर हाजीमल के बास रास्ते में टिंकू शर्मा की बाईक को लात मारकर गिराकर रूपयों से भरा बैग जिसमें 71,958/– रूपये, एक सेमसंग टेब,आईकार्ड, बायो मेट्रिक मशीन , कंपनी के डोक्यूमेंट को लूट कर ले गये।

उन्होंने बताया कि उक्त घटना होने के बाद 30 अगस्त,17 को पुलिस थाना एन ई बी में भारत फाईनेंस इल्कलूजन लि0 सुभाष नगर अलवर के संगम मैनेजर पद पर फील्ड में जाकर कैश कलेक्शन का काम करने वाले श्री टिंकू शर्मा पुत्र श्री भगवान शर्मा निवासी कुसैड़ा कला पुलिस थाना मनिया जिला धौलपुर ने थाना एन ई बी में मुकदमा दर्ज कराया। कि एक मोटर साईकिल पर सवार तीन अज्ञात लड़के जिन्होंने अपना मुंह पर डाटा बांधा हुआ था। पीछे से आकर मेरी बाईक को लात मारकर गिरा दिया। जिस पर पीछे बैठे व्यक्ति ने मेरा बैग मुझसे लूट लिया। जिसका मैंनें पीछा किया तो कट्टा दिखा कर मारने की धमकी देने लगा। बैग में 71,598 रूपये, सेमसंग टेबलेट, एक बायोमैट्रिक मशीन, मेरा आई डी कार्ड, कंपनी के कुछ डोक्यूमेंट आदि लूट कर ले गये।

राही / सन्तरा / 649 / 2017
नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

युवा पीढ़ी के लिये घातक ''Blue Whale'' गेम की रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान चलाया जाये

– महानिदेशक पुलिस

जयपुर 7 सितम्बर। महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने जानकारी में आये प्रदेश में कुछ Blue whale game मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किये है कि वे युवा पीढ़ी के लिये घातक साबित हो रहे Blue whale game की रोकथाम के लिये शिक्षा विभाग अधिकारियों व स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से स्कूलों एवं कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलायें।

श्री सिंह ने हाल ही Blue whale game के शिकार होकर आत्महत्या जैसा घृणित कदम उठाने के लिये मजबूर हुए मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षकों को थाना क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों में इस खेल के होने वाले दुष्प्रभावों से युवक युवतियां कैसे बचे रहें, के बारे में एक–एक घंटे के गहन आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

महानिदेशक पुलिस ने कहा कि इन कार्यक्रमों से युवक युवतियों के साथ–साथ उनके अभिभावकों में भी आवश्यक सतर्कता बरत सके इसके लिये जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विभिन्न मनोवैज्ञानिक सलाहकारों व जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने वाले मोटिवेटर्स की सेवाएं भी ली जायें।

श्री सिंह ने प्रदेश के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहयोग करें। उनके व्यवहार एवं गतिविधियों में आये बदलाव पर नजर रखें ताकि वे अनायास ही इस साइबर क्राइम (ब्ल्यू व्हेल गेम) के शिकार होने से बच सकें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ब्ल्यू व्हेल गेम साइबर क्राइम का ही एक विकसित रूप है, जो युवक–युवतियों के लिये प्राणघातक साबित हो रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जोधपुर आयुक्तालय के थाना क्षेत्र राजीव गांधी नगर व जयपुर आयुक्तालय के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक युवक व युवती Blue whale game की शिकार होने की सूचना मिली है। पुलिस ने दोनों को सर्च आउट कर उनके परिजनों को सौंप दिया है।

श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की साईबर अपराध से सम्बन्धित संस्था "CERT" भी Blue whale game जैसे मामलों के अनुसंधान में निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि Blue whale game की रोकथाम के लिये विभाग की साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि UNICEF की गाइड लाइन को स्कूलों में प्रचारित किया जा रहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक अपराध ने बताया कि युवक युवतियों द्वारा काम में लिये गये उपकरणों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण करवाया जा रहा है।

राही/मनीष/अमन/संतरा /2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।